



नियंत्रण 2281-PBR-15

रिविजन अपील प्र.क्र.

/2015

प्रस्तुति दि.: 08.07.2015

रा.रा. माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, ग्वालियर इंदौर के समक्ष

नरेन्द्र कुमार पिता श्री केशरीमल जैन

निवासी- बडवानी जिला बडवानी (म.प्र.)

---प्रार्थी

विरुद्ध

श्री राहुल विजयवर्गीय
प्रार्थी/वाक्तापक द्वारा दिनांक 8-7-2015
को प्रस्तुत ✓

1344/08-07-2015

श्रीमान
आयुक्त कार्यालय

--- प्रतिप्रार्थी गणइंदौर दंभण

1. श्री रमेशचंद्र पिता श्री बालचंद्र जैन,
निवासी- मनावर जिला धार (म.प्र.)

2. श्रीमती सरिता पति अरविंद गुप्ता,
निवासी- बडवानी जिला बडवानी (म.प्र.)

रिविजन याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.

भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत

माननीय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर (श्रीमान एस.पी.एस. सलजा साहब) के द्वारा द्वितीय अपील क्र. 404/13-14 में दिनांक 06.05.2015 को पारित आदेश से दुखी एवं व्यथित होकर यह रिविजन याचिका प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत करना भाग हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय तथा वैधानिक सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखते हुवे उक्त आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

(Handwritten Signature)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
 प्रकरण क्रमांक. R 2281. PBR/15 जिला २९९१११

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
<p>21.4.2016</p> <p>Not Recd</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री राहुल किशोरकाश आभिभाषक ने उपाक्षित होकर प्रकृण नहीं चर्चों का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकृण नहीं चर्चों के कारण समाप्त किया जाता है।</p> <p>अध्यक्ष</p>	<p>Not Recd</p> <p>R 21/4/16</p>